रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19—अप्रैल 25, 2014 (चैत्र 29, 1936)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19—APRIL 25, 2014 (CHAITRA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मार्च 2014

आवास वित्त कंपनियों द्वारा निजी नियोजन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन हेतु (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2014

सं. एनएचबी. एचएफसी. एनसीडी-डीआईआर.1/सीएमडी/2014--राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बार से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा नीचे दिए गए निर्देश देता है--

1. निर्देशों का लघु शीर्षक, लागू तिथि एवं प्रयोज्यता:

(1) ये निर्देश आवास वित्त कंपनियों द्वारा निजी नियोजन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन हेतु (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2014 के रूप में जाने जाएंगे।

(2) ये निर्देश 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होंगे।

(3) जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, ये निर्देश राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम (1987 का 53) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत प्रत्येक आवास वित्त कम्पनी पर लागू होंगे।

2. परिभाषा:

(1) इन निर्देशों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अपरिवर्तनीय डिबेंचर'' का अर्थ है आवास वित्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले एक ऐसे ऋण लिखत से है, जिसकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष या इससे अधिक है तथा इसे निजी नियोजन आधार पर जारी किया गया है।

(ख) ''निजी नियोजन'' का अर्थ है आवास वित्त कंपनी द्वारा गैर जनता अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को ऐसी संख्या के चुनिंदा अभिदानकर्त्ताओं को एवं ऐसी अभिदान राशि को आवेदित करना हो जोकि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(ग) ''सार्वजनिक निर्गम'' का अर्थ है किसी आवास आवास वित्त कंपनी द्वारा जनता को विवरण पत्र के माध्यम से आवेदित प्रतिभूतियों के लिए आमंत्रण देना।

(2) यहां प्रयोग किए गए शब्द अथवा अभिव्यक्ति जो कि यहां परिभाषित नहीं है परंतु राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ ओगा जो कि वहां निर्दिष्ट किया गया है। अन्य कोई शब्द अथवा अभिव्यक्ति जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक, 1987 में परिभाषित नहीं हैं, उनका अर्थ वहीं होगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2), बैंककारी विनियम अधिनियम, 1944 (1949 का 10), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 18) में निर्दिष्ट किया गया है।

3. निर्गम का उद्देश्य:--

(1) एक आवास वित्त कंपनी अपने तुलन पत्र में निधियों के अभिनियोजन हेतु अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गमन करेगी।

(2) कोई भी आवास वित्त कंपनी अपनी समूह संस्थाओं/मूल कंपनी/सहयोगियों के संसाधन की आवश्यकता को सुगम बनाने के लिए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गमन नहीं करेगी।

4. निर्गम हेतु पात्रता

कोई भी आवास वित्त कंपनी तभी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन के लिए पात्र होगी, यदि उसके पास नवीनतम संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 10 करोड रु. की निवल स्वाधिकत निधि है।

5. रेटिंग अपेक्षा:

(1) एक पात्र आवास वित्त कंपनी जो अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना चाहती है, इसके लिए किसी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यथा-क्रेडिट रेटिंग इन्फारमेशन सर्विसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) अथवा इन्वेस्टमेंट इन्फारमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (इकरा), अथवा दि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर), अथवा दि फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से पंजीकृत अन्य कोई एजेंसी अथवा इस उद्देश्यार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।

(2) आवास वित्त कंपनी के पास अपनी वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करने संबंधी पर्याप्त डिग्री की सुरक्षा की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए।

(3) आवास वित्त कंपनी द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त की गई रेटिंग नवीनतम है एवं यह समीक्षा के लिए देय नहीं है।

6. परिपक्वता:

(1) अपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमन की तारीख से 12 माह से कम की अवधि के लिए जारी नहीं किए जाएंगे।

(2) यदि अपरिवर्तनय डिबेंचरों के साथ विकल्प चुनने की तिथि (पुट/काल) यदि कोई संबंध है, तो यह तिथि निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं होने चाहिए।

(3) अपरिवर्तन डिबेंचरों का विस्तारण अनुमत्य नहीं है।

(4) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की अवधि लिखत की क्रेडिट रेटिंग की मान्य अवधि, यदि कोई है, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. निवेशकों की अधिकतम संख्या एवं प्रति निवेशक न्यूनतम अभिदानित राशि:

(1) आवास वित्त कंपनी द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के एक निर्गम में निवेशकों की संख्या 49 (उनचास) तक सीमित रखी जाएगी एवं इन निवेशकों की अग्रिम पहचान कंपनी द्वारा की जाएगी।

(2) एक निवेशक के लिए न्यूनतम अभिदान राशि 25 लाख रु. और इसके उपरांत 5 लाख रु. के गुणाक में ही होगी।

8. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम की राशि और सीमाएं:

(1) आवास वित्त कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की राशि उस सीमा के भीतर होगी जो कि आवास वित्त कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है अथवा वह उल्लिखित राशि जिसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग प्रदान की गई है, में से जो भी कमतर है।

(2) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल प्रस्तावित जारी की जाने वाली राशि संबंधी कार्यवाही आवास वित्त कंपनी द्वारा अभिदान के निर्गम को खोलने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी करनी होगी।

9. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम हेतु शर्तें:

(1) आवास वित्त कंपनी के पास संसाधनों के नियोजन के लिए निदेशक मंडल से अनुमोदित नीति होनी चाहिए एवं इस नीति में अन्य के साथ-साथ निजी निगमन के आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की आवधिकता एवं सीमा का नियोजन कवर होना चाहिए।

(2) निजी निगमन आधार पर जारी किया जाने वाला प्रस्ताव दस्तावेज निर्गमन के लिए अधिकत बोर्ड संकल्प की तिथि से 6 माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

10. निर्गमन हेतु प्रक्रिया:

(1) आवास वित्त कंपनी द्वारा संभावित निवेशकों को बाजार की मानक प्रक्रिया अनुसार अपनी वित्तीय वित्तीय स्पष्ट की जाएगी। प्रस्ताव दस्तावेज में विशेष रूप में, इस प्रकार के प्रस्ताव दस्तावेज को जारी करने के लिए अधिकत अधिकारियों के नाम एवं पदनाम शामिल होने चाहिएं। बोर्ड संकल्प एवं प्रस्ताव दस्तावेज में उस उद्देश्य संबंधी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए, जिसके लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। प्रस्ता व दस्तावेज पर ''केवल निजी परिचालन हेतु'' छपा या टंकित होना चाहिए। प्रस्ताव दस्तावेज में सामान्य जानकारी यथा-आवास वित्त कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, निर्गम के खुलने व बंद होने की तिथि, परिपक्वता अवधि, ब्याज दर आदि स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए।

(2) आवास वित्त कंपनी के लेखा परीक्षक निवेशकों को यह प्रमाणित करेंगे कि अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने में आवास वित्त कंपनी द्वारा इन निर्देशों में दी गई सभी पात्रता शर्तें पूरी की गई हैं।

(3) आवास वित्त कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गमन एवं सूचीयन) विनियम, 2008 एवं अन्य कानूनी प्रावधान जो कि लागू हो सकते हैं, का अनुपालन किया जाएगा।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा निर्गम के जारी होने की तिथि के समय प्रभावी अन्य किसी कानूनी प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर डिबेंचर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(5) अपरिवर्तनीय डिबेंचर, आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुनिर्धारित कूपन दर अंकित मूल्य अथवा अंकित मूल्य पर जीरो कूपन लिखत के रुप में जारी किए जा सकते हैं।

11. डिबेंचर न्यासी:

(1) अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी प्रत्येक निर्गम हेतु एक डिबेंचर न्यासी की नियुक्ति करेगी।

(2) कोई भी संस्था जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी), विनिमय, 1993 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से डिबेंचर न्यासी के रुप में पंजीकृत है, अपरिवर्तनीय डिबेंचर के निर्गम हेतु डिबेंचर न्यासी के रुप में कार्य करने की पात्र होगी।

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित जानकारी डिबेंचर न्यासी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

12. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों हेतु सुरक्षा कवर:

(1) अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाली आवास वित्त कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक समय बिंदु पर ये डिबेंचर पूर्णतया प्रतिभूत/सुरक्षित हैं।

(2) अगर निर्गम के चरणों में, सुरक्षा कवर अपर्याप्त है/सृजित नहीं किया है, निर्गम से आने वाली राशि प्रतिभूति/सुरक्षा कवर सृजित किए जाने तक एस्क्रो लेखा में रखी जाएंगी एवं जो कि किसी भी दशा में निर्गम की तारीख से एक माह के भीतर होना चाहिए।

(3) उक्त अनुच्छेद के प्रावधान आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 में परिभाषित ''संकर ऋण'' अथवा ''गौण ऋण'' जिसमें न्यूनतम परिपक्वता अवधि 60 माह से कम की नहीं है, के रुप में प्राप्त राशि पर लागू नहीं होगें।

13. अमूर्तीकरण को वरीयता:

हालांकि आवास वित्त कंपनियों के पास अमूर्तिकत अथवा भौतिक स्वरूप में अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने का विकल्प उपलब्ध है, कंपनियों को डिबेंचर अमूर्तिकत स्वरूप में जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

14. डिबेंचरों के एवज में ऋण:

कोई भी आवास वित्त कंपनी निजी निगम आधार पर अथवा सार्वजनिक निर्गम के रूप में जारी किए जाने वाले अपने डिबेंचरों की प्रतिभूति पर ऋण नहीं देगा।

15. बोर्ड की रिपोर्ट:

आवास वित्त कंपनी आम बैठक में प्रत्येक तुलनपत्र के साथ संलग्न की जाने वाली निदेशक मंडल रिपोर्ट में निम्न सारणी प्रदर्शित करेगी:--

(1) कुल अपरिवर्तनीय डिबेंचर जिनके लिए निवेशकों द्वारा नहीं किया गया है अथवा ऐसे अपरिवर्तनीच डिबेंचर जो मोचन के लिए देय हो गए हों एवं उनका भुगतान आवास वित्त कंपनी द्वारा न किया गया हो; एवं

(2) ऐसे डिबेंचरों के संबंध में कुल राशि जिसका दावा न किया गया हो अथवा तिथि जो कि अनुच्छेद (1) में उल्लिखित है के बाद अदेय राशि।

16. छूट:

राष्ट्रीय आवास बैंक, अगर जरुरी समझे तो किसी कठिनाई को रोकने अथवा किसी अन्य स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण से इन निर्देशों के सभी प्रावधानों से अथवा किसी प्रावधान से सामान्य रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, इसके द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के तहत, निर्देशों की अनुपालना हेतु किसी आवास वित्त कंपनी अथवा आवास वित्त कंपनी के किसी समूह को छूट के लिए समय विस्तार दे सकता है।

17. विवेचना:

राष्ट्रीय आवास बैंक इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अगर जरुरी समझे तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंधी में स्पष्टीकरण हेतु या इन निर्देशों के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर सकता है एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए इन निर्देशों में, किसी भी प्रावधानों की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधित पक्षों को बाध्यकारी होगी।

राज विकास वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures
on private placement basis (NHB) Directions, 2014

No. NHB.HFC.NCD-DIR. 1 /CMD/2014—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary to give the Directions mentioned below, hereby in exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, gives the Directions hereinafter specified.

1. Short title, commencement and applicability of the Directions:

(1) These Directions shall be known as the Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014.

(2) They shall come into force on 1st April 2014.

(3) Unless otherwise directed by the National Housing Bank, these Directions shall be applicable to every housing finance company registered under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987).

2. Definitions:

(1) In these Directions, unless the context otherwise requires,

(a) "Non-Convertible Debenture" means a debt instrument issued by a housing finance company with maturity for one year or more and issued by way of private placement.

(b) "Private Placement" means non-public offering of Non-Convertible Debentures (NCDs) by housing finance companies to such number of select subscribers and such subscription amounts, as may be specified by the National Housing Bank, from time to time.

(c) "Public Issue" means an invitation by a housing finance company to public to subscribe to the securities offered through a prospectus.

(2) Words or expressions used but not defined herein and defined in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them therein. Any other words or expressions not defined herein or in the National Housing Bank Act, 1987 shall have the same meaning as assigned to them in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

3. Purpose of the issue:

(1) A housing finance company shall issue non-convertible debentures for deployment of funds on its own balance sheet.

(2) No housing finance company shall issue non-convertible debentures to facilitate resource requests of group entities/ parent company / associates.

4. Eligibility to issue:

A housing finance company shall be eligible to issue non-convertible debenture if it has the net owned fund of 10 crores as per the latest audited balance sheet.

5. Rating Requirement:

(1) An eligible housing finance company intending to issue non-convertible debentures shall obtain credit rating for the same from one of the credit rating agencies, viz., the Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) or the Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA) or the Credit Analysis and Research Ltd. (CARE), or the FITCH Ratings India Pvt. Ltd or Brickwork Ratings India Pvt. Ltd or such other agencies registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI) or such other credit rating agencies as may be specified by the National Housing Bank from time to time, for the purpose.

(2) The housing finance company should have minimum credit rating of adequate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations.

(3) The housing finance company shall ensure at the time of issuance of the non-convertible debentures that the rating so obtained is current and has not fallen due for review.

6. Maturity:

(1) Non-convertible debentures shall not be issued for maturities of less than 12 months from the date of issue.

(2) The exercise date of option (put/call), if any, attached to the non-convertible debentures shall not fall within the period of one year from the date of issue.

(3) No roll-over of non-convertible debentures is permitted.

(4) The tenor of the non-convertible debentures shall not exceed the validity period of the credit rating of the instrument, if any.

7. Maximum number of investors and minimum amount of subscription per investor:

(1) In an issue of non-convertible debentures, housing finance company shall restrict the number of investors to 49 (forty nine), identified upfront by such housing finance company.

(2) The minimum subscription amount for a single investor shall be Rs.25 lakh and in multiples of Rs.5 lakh, thereafter.

8. Limits and the Amount of Issue of non-convertible debentures:

(1) The aggregate amount of non-convertible debentures issued by a housing finance company shall be within such limit as may be approved by the Board of Directors of the housing finance company or the quantum indicated by the Credit Rating Agency for the rating granted, whichever is lower.

(2) The total amount of non-convertible debentures proposed to be issued shall be completed within a period of 30 days from the date on which the housing finance company opens the issue for subscription.

9. Conditions for issue of non-convertible debentures:

(1) A housing finance company shall have in place, a Board approved policy for resource planning which, inter alia, should cover the planning horizon and the periodicity of private placement of non-convertible debentures.

(2) The offer document for private placement should be issued within a maximum period of 6 months from the date of the Board Resolution authorizing the issue.

10. Procedure for Issuance:

(1) The housing finance company shall disclose to the prospective investors, its financial position as per the standard market practice. In particular, the offer document should include the names and designations of the officials who are authorized to issue such offer document. The Board resolution and the offer document must contain information on purpose for which the resources are being raised. The offer document may be printed or typed "For Private Circulation Only". General information including the address of the Registered Office of the HFC, date of opening/ closing of the issue, maturity period, rate of interest, etc. shall be clearly mentioned in the offer document.

(2) The auditors of the housing finance company shall certify to the investors that all the eligibility conditions set forth in these directions for the issue of non-convertible debentures are met by the housing finance company.

(3) The requirements of all the provisions of the Companies Act, 1956 and the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, or any other law, that may be applicable, shall be complied with by the housing finance company..

(4) The Debenture Certificate shall be issued within the period prescribed in the Companies Act, 1956 or any other law as in force at the time of issuance.

(5) Non-convertible debentures may be issued at face value carrying a coupon rate or at a discount to face value as zero coupon instruments as determined by the housing finance company.

11. Debenture Trustee:

(1) Every housing finance company issuing non-convertible debentures shall appoint a Debenture Trustee for each issue.

(2) Any entity that is registered as a Debenture Trustee with the Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, shall be eligible to act as Debenture Trustee for issue of the non-convertible debentures.

(3) The Debenture Trustee shall submit to the National Housing Bank such information as required by it from time to time.

12. Security Cover for non-convertible debentures:

(1) A housing finance company issuing non-convertible debentures shall ensure that at all points of time such debentures are fully secured.

(2) In case, at the stage of issue, the security cover is insufficient/ not created, the issue proceeds shall be placed under escrow until creation of security, which in any case should be within one month from the date of issue.

(3) The provisions of the above paragraph shall not apply to any amount received as 'hybrid debt' or 'subordinated debt', as defined in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 having the minimum maturity period of which is not less than sixty months.

13. Preference for Dematerialization:

While option is available to the housing finance companies to issue non-convertible debentures in dematerialized or physical form, they are encouraged to issue debentures in dematerialized form.

14. Loan against debentures:

No housing finance company shall extend loans against the security of its own debentures issued either by way of private placement or public issue.

15. Board's report:

The Board's report attached to every balance sheet laid before a housing finance company in general meeting shall include a statement showing :-

(1) The total number of non-convertible debentures which have not been claimed by the Investors or not paid by the housing finance company after the date on which the non-convertible debentures became due for redemption; and

(2) The total amount in respect of such debentures remaining unclaimed or unpaid beyond the date referred to in clause (1) as aforesaid.

16. Exemptions:

The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any housing finance company or class of housing finance companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose.

17. Interpretations:

For the purpose of giving effect to the provisions of these directions, the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

R. V. VERMA
Chairman & Managing Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC. 4]—71 + 25 + 25= 121 Copies.